



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022023-243482
CG-DL-E-06022023-243482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]
No. 582]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2023/MAGHA 17, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2023

का.आ. 611(अ).—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987, 2007 तथा 2011) के नियम 10 (4) के अनुसरण में संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईटीआई लिमिटेड के अंतर्गत एमएसपी कार्यालय, हैदराबाद, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[सं. ई-11016/01/2022-रा.भा.]

सु. बालचन्द्र अय्यर, उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2023

S.O. 611(E).—In pursuance of rule 10(4) of the Official Languages (use for official purposes of the Union Rules, 1976 (as amended 1987, 2007 and 2011) the Central Government hereby notifies the MSP Office, Hyderabad under ITI Limited, Bengaluru a public sector undertaking of the Ministry of Communications, Department of Telecommunications, where more than 80 % staff have acquired working knowledge of Hindi.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette of India.

[E-11016/01/2022-O.L.]

S. BALACHANDRA IYER, Dy. Director General (C&A)